न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 208 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 208

कुलदीप पुत्र श्री राम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

——अपीलांट

बनाम

1. राममूर्ति पुत्र सोहनाराम जाति जाट आयु 63 वर्ष निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ वर्तमान निवासी सागर रोड़ चौधरी चरणसिंह कन्या छात्रावास के पीछे तिलक नगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
2. देवीलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. मन्जू पुत्री स्व0 भूपराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. साहबराम पुत्र सोहनाराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.06.2022

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

प्रकरण संख्या 37 / 2018 अनवान राममूर्ति बनाम हेतराम आदि

उपस्थितिः—

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अनिल सिडाना, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री नरेन्द्र कुमार चिनियां अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 4

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 20.03.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होने का कथन करते हुए अप्रार्थीगण की भूमि चक नं. 19 केएनएनके प. नं. 285/370 (43) के किला नं. 1, 2 की उत्तर दिशा की और पूर्व से पिश्चम में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.06.2017 के द्वारा आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समा पेश हुई जो दिनांक 16.05.2018 को स्वीकार की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.06.2017 को निश्रसत करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गय। अधीनसी न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त वर्तमान अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.05.2018 से प्रकरण को रिमाण्ड कर यह निर्देश दिये थे कि राज0 काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त वैकल्पिक रास्ता संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकार को बतौर पक्षकार संयाजित करते हुए साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर रास्ता के आवेदन का निस्तारण करे। परन्तु विचारण न्यायलाय द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का पालना किये बिना ही पुनः हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो रिमाण्ड आदेश की पालना में पारित नही किया गया होने के कारण काबिल अपास्त है। मु0 नं0 43 के किला नं0 5 में से निकटतम रास्ता होना रिपोर्ट में बतलाया गया है यह किला विमला पत्नी नरेन्द्र का नक्शा में अंकित किया गया है इसलिए माननीय राजस्व अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अनुसार मु0 43 के किला नं. 5 में से वैकल्पिक रास्ता के सम्बन्ध में इस किला के खातेदार को पक्षकार बनाकर निर्णय पारित करना चाहिए था परन्तु इस और बिना गोर किये विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2016 (1) आरआरटी पेज 440 आरआरटी 2018 (2) पेज 1193 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आईएलआर की रिपोर्ट दिनांक दिनांक 21.01.2019 के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, विधि प्रक्रिया अपना पारित किया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने पुनः रिपोर्ट मंगवाई थी नायब तहसीलदार तलवाड़ा जिस पर पटवारी हल्का की उपस्थित में दिनांक 30.06.2017 मौका निरीक्षण कया गया। मौका निरीक्षण से से रेस्पोडेण्ट के ख तमे पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता मोजूद होना नही पाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.09.2019 को पुनः मौका स्थिति व वैकल्पिक रास्ता/पूर्ण रास्ता की स्थिति स्पष्ट करते हुए पुनः रिपोर्अ मंगवाई गई थी। पटवारी हल्का की रिपोर्अ दिनांक 11.09.2019 पत्रावली में संलग्न है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेशानुसार अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2020 (1) पेज 361 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.05.2018 से प्रकरण को रिमाण्ड कर यह निर्देश दिये थे कि राज0 काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त वैकल्पिक रास्ता संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकार को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर रास्ता के आवेदन का निस्तारण करे। परन्तु विचारण न्यायलाय द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का पालना किये बिना ही पुनः हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो रिमाण्ड आदेश की पालना में पारित नही किया गया होने के कारण काबिल अपास्त है। मु0 नं0 43 के किला नं0 5 में से निकटतम रास्ता होना रिपोर्ट में बतलाया गया है यह किला विमला पत्नी नरेन्द्र का नक्शा में अंकित किया गया है इसलिए माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अनुसार मु0 43 के किला नं. 5 में से वैकल्पिक रास्ता के सम्बन्ध में इस किला के खातेदार को पक्षकार बनाकर निर्णय पारित करना चाहिए था परन्तु इस ओर बिना गोर किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायलय को इस निर्देशक साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय के पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 में पारित निर्देशानुसार अपीलाधीन निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.3.25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/3/25

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner